न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री कुशल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–49 / 2021 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)

GCMS NO :–2021 / 87

दायर दिनांक :–20.09.2021

निर्णय दिनांक :–21.10.2021

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्री नरेश कुमार चेजारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम

1. हरिश कुमार पालीवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल पालीवाल उम्र 42 जाति ब्राह्मण निवासी सब्जी मण्डी के पास, आमेट जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स लवली फूड्स, 100 फिर रोड़ कांकरोली, राजसमंद जिला राजसमंद–313324
2. रौनक बेंगनी (फर्म मालिक) मैसर्स ओसवाल फूड्स, 967 आकाशदीप, होटल आशिष पैलेस, चेटक सर्कल मार्ग, उदयपुर–313001
3. सेन्डल गुलाटी (फर्म मालिक) मैसर्स ट्राईबल'ओ सन्स, 204 भाग सिंह चौक, आदर्श नगर जयपुर– 302004 मो.न. 9829777297
4. Korlapati Jyothi Naidu (फर्म मालिक) मैसर्स कादम्बरी मार्केटिंग, एफ़–5 28 / 5 प्रथम तल ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–2 साउथ दिल्ली–110020
5. Harish Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana-501359
6. Vijay Narayandas Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana-501359
7. Rajesh Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana-501359
8. M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana-501359

– विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 727 दिनांक

29.11.2011 के अनुसरण में श्री नरेश कुमार चेजारा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी हरिश कुमार पालीवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल पालीवाल उम्र 42 जाति ब्राह्मण निवासी सब्जी मण्डी के पास, आमेट जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स लवली फूड्स, 100 फिर रोड़ कांकरोली, राजसमंद, रौनक बेंगनी (फर्म मालिक) मैसर्स ओसवाल फूड्स, 967 आकाशदीप, होटल आशिष पैलेस, चेटक सर्कल मार्ग, उदयपुर., सेन्डल गुलाटी (फर्म मालिक) मैसर्स ट्राईबल'ओ सन्स, 204 भाग सिंह चौक, आदर्श नगर जयपुर, Korlapati Jyothi Naidu (फर्म मालिक) मैसर्स कादम्बरी मार्केटिंग, एफ–5 28/5 प्रथम तल ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–2 साउथ दिल्ली, Harish Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana, Vijay Narayandas Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana, Rajesh Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana, M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री हरिश कुमार पालीवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल पालीवाल उम्र 42 जाति ब्राह्मण निवासी सब्जी मण्डी के पास, आमेट जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स लवली फूड्स, 100 फिर रोड़ कांकरोली, राजसमंद जिला राजसमंद पर दिनांक 04.11.2020 को समय 02.30 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण उक्त दुकान में Fruit Biscuits (Karanchi's) 400 gm के 33 पैकेट आम जनता के लिए विक्रय हेतू रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ Fruit Biscuits (Karanchi's) 400 gm मे से 04 कार्टुन पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 720/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ Fruit Biscuits (Karanchi's) 400 gm के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा Fruit Biscuits (Karanchi's) 400 gm की 04 पॉली पैक को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई –1102 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूनें की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2020/4068 दिनांक 23.11.2020 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/ 238/एक्ट/2020/247 दिनांक 01.11.2020 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ Fruit Biscuits (Karanchi's) 400 gm मिसब्राण्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने दिनांक 14.09.2021 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। विपक्षी को सुना गया। विपक्षी द्वारा अपराध स्वीकार करते हूए निवेदन किया है कि लेबलिंग में जो भी गलती हुई है उसमें सुधार कर लिया जायेगा एवं ऐसी गलती की पुनरावृति नहीं होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का Fruit Biscuits (Karanchi's) 400 gm मिसब्राण्ड, होना पाया गया। अतः अभियुक्तों ने मिसब्राण्डेड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम [illegible] की धारा 26 की धारा 3(1)(ZF)(A)(i)(C)(i) के अन्तर्गत) खाद्य पदार्थ Fruit Biscuits (Karanchi's) 400 gm का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 [illegible] धारा (2) (II) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 [illegible] 51 एवं 52 में जुर्माना योग्य अपराध है ।

अपराध कारित होने से विपक्षी श्री हरिश कुमार पालीवाल पुत्र श्री चुन्नीलाल पालीवाल [illegible] जाति ब्राह्मण निवासी सब्जी मण्डी के पास, आमेट जिला राजसमंद (फर्म मालिक एवं

[illegible] मूल। (1)

[illegible]हित अधिकारी का पत्र मय मूल पोस्टल रसीद, जांच रिर्पोट एवं पत्र डिलीवरी की [illegible]लाईन रिपोर्ट की प्रति । (3)

[illegible] ओसवाल फूड्स 967 [illegible]

विक्रेता) मैसर्स लवली फूड्स, 100 फिर रोड़ कांकरोली, राजसमंद, रौनक बेंगनी (फर्म मालिक) मैसर्स ओसवाल फूड्स, 967 आकाशदीप, होटल आशिष पैलेस, चेटक सर्कल मार्ग, उदयपुर., सेन्डल गुलाटी (फर्म मालिक) मैसर्स ट्राईबल'ओ सन्स, 204 भाग सिंह चौक, आदर्श नगर जयपुर, Korlapati Jyothi Naidu (फर्म मालिक) मैसर्स कादम्बरी मार्केटिंग, एफ–5 28/5 प्रथम तल ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया फेज–2 साउथ दिल्ली, Harish Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana, Vijay Narayandas Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana, Rajesh Ramnani (Partner) M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana, M/s Karanchi INC, Plot No. 26/A Hardware park, Kanchalmarath, Ravirala (Vill), Maheshwaram (M), Rangareddi, Telangana को कुल राशि 10000/– रूपये (अक्षरे रूपया दस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द